an>

Title: Need to shift the storage facility for hazardous chemicals from Mehul and Ambapada village in Mumbai South-Central parliamentary Constituency in Maharashtra.

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) ः मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई (साउथ सेन्ट्रल) में मेहूल और अम्बापाडा गांव के निवासी जहरीले कैमिकल प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र की आबादी में सीलोर्ड कम्पनी के एजीज लोजिस्टिक्स के बड़े-बड़े गोदाम वर्षों से कायम हैं। यहाँ से खतरनाक जहरीले कैमिकल का आदान-प्रदान होता है। इन गोदामों में जिस पाइपलाईन से कैमिकल सप्लाई होता है वह पाइपलाईन यहाँ की एक रोड के नीचे से क्रॉस करती है जिस पर हैवी ट्रैफिक निकलता है। किसी भी समय कोई भी विस्फोट की संभावना बनी रहती है। सीलोर्ड कम्पनी के इन गोदामों से अत्यंत खतरनाक और जहरीले कैमिकल जैसे कि एसीटोन, एनीलीन, बेंजिन, एन-बूटाइल, अल्कोहल, कॉस्टिक सोडा, हाई स्पीड डीजल, औकटेन, नाफ्था, एन-पैराफीन इत्यादि देश-विदेश में सप्लाई किए जाते हैं। सारा इलाका जहरीले धुएँ और स्मैल से भरा रहता है जिससे इन गांवों के निवासियों की सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा है और वे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। 18 दिसम्बर 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीलोर्ड कंपनी के इन गोदामों को यहाँ से स्थानान्तरित करने का ऑर्डर दिया था परन्तु स्थानीय प्रशासन ने इस बारे में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है। इसके अलावा टैंक्स की सफाई करने पर जहरीला वेस्ट वाटर मैदानों में ऐसे ही फैला रहता है और समीप ही समुद्र में चला जाता है जो समुद्री जानवरों के लिए जानलेवा है। यहां पर कम्पनी की अपनी कोई सीवर लाईन भी नहीं है। बी.एम.सी. का एक स्कूल भी गोदाम के समीप ही है।

अतः माननीय पर्यावरण मंत्री से मेरा अनुरोध है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के आधार पर सीलोर्ड कम्पनी के गोदामों को मेहूल और अम्बापाडा गाँव की आबादी से दूर किसी अन्य क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिए कारगर कदम उठाएं जिससे इस क्षेत्र के निवासियों की सेहत को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके।